न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं)

मु.न. 02/2017

उनवान

1. श्रीमती राधिका बांगड पत्नी सुनिल बांगड, जाति महाजन, निवासी एफ–95, मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूँ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. हनुमान पुत्र श्योलाराम, जाति कुम्हार, निवासी पणिहारी होटल के पास, ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. श्रीमति गोरा देवी पत्नी स्व. रामेश्वर, जाति कुम्हार, निवासी पणिहारी होटल के पास, ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. गणपत पुत्र स्व. रामेश्वर
5. गणेश पुत्र स्व. रामेश्वर
6. प्रहलाद पुत्र स्व. रामेश्वर
7. शंकर पुत्र स्व. रामेश्वर
8. श्रवण पुत्र स्व. रामेश्वर
9. रतन पुत्र स्व. रामेश्वर
   समस्त जाति कुम्हार, निवासी पणिहारी होटल के पास, ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. मदन लाल करनानी पुत्र कन्हैया लाल करनानी, जाति महाजन माहेश्वरी, निवासी एम–19, महेश कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर।
11. रामावतार दुसाद पुत्र स्व. राधेश्याम दुसाद, जाति महाजन, हाल निवासी अशोक विहार विस्तार, पालीवाल मार्ग, कचौलिया रोड, कस्बा चौमूं, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 17.05.2017

पत्रावली कैम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित है। अप्रार्थी सं. 1, 3 ता 9, 11 बावजूद तामिल अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम हाडोता, पटवार हल्का हाडोता, भू.अ.नि. क्षेत्र चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता सं. 439 में वर्णित खसरा नम्बर 45/2527 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 60 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 62

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68/2493 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 15 का कुल रकबा 1.17 हैक्टेयर स्थित हैं। जिसमें से आराजी भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68/2493 रकबा 0.02 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर के पूर्व एवं पश्चिमी दिशा की ओर अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 11 की खातेदारी भूमि स्थित हैं।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीया की हाल खाता संख्या 439 में वर्णित खरा नम्बरान में से कुल किता 5 का कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर के पूर्व एवं पश्चिमी दिशा की ओर अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 11 की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि हैं। अप्रार्थीगण सं. 2 की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 65, 68 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण सं. 3 लगा. 9 की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 509, 511 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.81 हैक्टेयर है जिसकी खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 9 के पति/पिता स्व. रामेश्वर पुत्र श्योलाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थीगण सं. 10 व 11 की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 511/2389 रकबा 0.58 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर हैं।

इस प्रकार अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 11 प्रार्थीया की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि कुल किता 5 का कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर के पूर्वी व पश्चिमी दिशा की ओर स्थित सींव जोड पडोसी काश्तकार है जो अक्सर प्रार्थीया की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि की सींवडोल में तोड फोड कर खुर्द बूर्द करते रहे हैं व प्रार्थीया को उसके कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करते रहे है जिस कारण प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 के समक्ष विधि अनुसार सीमाज्ञान हेतु आवेदन कर अप्रार्थीगण सं. 1 के आदेश कमांक सीमा/2016/2347 दिनांक 14.06.2016 की अनुपालना में सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.06.2014 को सीमाज्ञान कर सीमा कायम की गई जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 11 को बखूबी है जिस बाबत कभी कोई आपत्ति अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 11 को द्वारा नहीं की गई किन्तु इसके पश्चात से ही अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 11 द्वारा बिना वजह प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि कुल किता 5 का कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर के पूर्वी व पश्चिमी दिशा से छेड छाड की जा रही है जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 11 द्वारा दिनांक 28.12.2016 को प्रार्थीया की हाल खाता सं. 439 में वर्णित खसरा नम्बर 67, 68/2493, 69, 70, 71 कुल किता 5 का कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर के पूर्वी व पश्चिमी दिशा की ओर स्थित स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 65, 68, 509, 511, 511/2389 की आड में प्रार्थीया की सींव डोल में तोड फोड कर दी गई जिस पर प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 11 को समझाने पर तथा निवदेन पर कि उनके द्वारा पूर्वी एवं पश्चिमी दिशा की सींव डोल में तोड फोड नहीं की जावे तथा अप्रार्थीगण सं. 1 द्वारा किये गये सीमाज्ञान की अनुपालना में पत्थरगढी करवा ली जावे किन्तु इस पर अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 11 नही माने तथा अपने अवैध कृत्य को लगातार जारी रखकर प्रार्थीया को जान से मारने की एलानिया धमकी देकर पत्थरगढी करवाने से साफ इन्कार कर दिया गया जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

यदि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित प्रार्थीया की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि में से खसरा नम्बर 67, 68/2493, 68, 70, 71 कुल किता 5 का कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर के पूर्वी एवं पश्चिमी दिशा बाबत सीमाज्ञान के आदेश अनुसार जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी हेतु आदेश नहीं फरमाये गये तो इससे पक्षकारों के मध्य सीमा का विवाद विद्यमान रहेगा तथा प्रार्थीया शांतिपूर्वक अपनी कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पायेंगे जिससे प्रार्थीया के विधिक अधिकारों का हनन होगा जिससे ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी।

अतः प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित प्रार्थीया की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि वाके ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर स्थित हाल खाता सं. 439 में वर्णित कुल खसरा नम्बर कुल किता 15 का कुल रकबा 1.17 हैक्टेयर में से खसरा नं. 67, 68/2493, 68, 70, 71 कुल किता 5 का कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर के पूर्वी एवं पश्चिमी दिशा की पत्थरगढी, सीमाज्ञान दिनांक 18.06.2016 अनुरूप जरिये पुलिस इमदाद कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

दिनांक 18.06.2016 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा०पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमूं को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा उक्त विवादीत आराजीयात में फसल न हो तो उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2017 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं में सुनाया गया।

(अशोक कुमार मो[illegible])
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner